

राजस्थान राजपत्र विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 18, सोमवार, शाके 1946-सितम्बर 09, 2024 Bhadra 18, Monday, Saka 1946 September 09, 2024

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम। FINANCE (Financial Rules) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, September 09, 2024

- **G.S.R.30** .-In exercise of the powers conferred by section 55 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, namely:-
- 1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Rajasthan Transparency in Public Procurement (Amendment) Rules, 2024.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Amendment of rule 43.-** In rule 43 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013,-
 - (i) in table of sub-rule (6), the existing clause (iii) of column 4 against serial number 3 shall be substituted by the following, namely:-
 - "(iii) One all India level daily news paper having wide circulation. The language of news paper will be decided by the Procuring Entity as per the requirement of subject matter of procurement.";
 - (ii) in table of sub-rule (7), the existing clause (iii) of column 4 against serial number 3 shall be substituted by the following, namely:-
 - "(iii) One all India level daily news paper having wide circulation. The language of news paper will be decided by the Procuring Entity as per the requirement of subject matter of procurement."; and

- (iii) in table of sub-rule (7), the existing clause (iii) of column 4 against serial number 4 shall be substituted by the following, namely:-
 - "(iii) One all India level daily news paper having wide circulation. The language of news paper will be decided by the Procuring Entity as per the requirement of subject matter of procurement."

[F. 2(1)/FD/SPFC/2017]
By Order of the Governor,

Manish Mathur, **Joint Secretary to the Government.**

Government Central Press, Jaipur.



राजस्थान राजपत्र विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

पौष 05, गुरूवार, शाके 1946- दिसम्बर 26, 2024 Pausa 05, Thursday, Saka 1946- December 26, 2024

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

> वित्त (वित्तीय नियम) विभाग अधिसूचना जयपुर, दिसंबर 26, 2024

जी.एस.आर.30 :-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1)/एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 09.09.2024 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर, संयुक्त शासन सचिव।

वित्त (वित्तीय नियम) विभाग अधिसूचना जयपुर, सितम्बर 09, 2024

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम,2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्ः-

- 1. **सिक्षप्त नाम और प्रारंभ.**-(1) इन नियमों का नाम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (संशोधन) नियम, 2024 है।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
 - 2. नियम 43 का संशोधन.-राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 43 में,-
 - (i) उप-नियम (6) की सारणी में, क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तम्भ 4 के विद्यमान खण्ड (iii)के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा,अर्थात्:-
 - "(iii)वृहत् परिचालन वाला एक अखिल भारतीय स्तर का दैनिक समाचारपत्र। समाचारपत्र की भाषा उपापन की विषय-वस्तु की अपेक्षाओं के अनुसार उपापन इकाई द्वारा विनिश्चित की जायेगी।";

- (ii) उप-नियम (7) की सारणी में, क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तम्भ 4 के विद्यमान खण्ड (iii)के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा,अर्थात्:-
 - "(iii)वृहत् परिचालन वाला एक अखिल भारतीय स्तर का दैनिक समाचारपत्र। समाचारपत्र की भाषा उपापन की विषय-वस्तु की अपेक्षाओं के अनुसार उपापन इकाई द्वारा विनिश्चित की जायेगी।"; और
- (iii) उप-नियम (7) की सारणी में, क्रम संख्यांक 4 के सामने स्तम्भ 4 के विद्यमान खण्ड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
 - "(iii)वृहत् परिचालन वाला एक अखिल भारतीय स्तर का दैनिक समाचारपत्र। समाचारपत्र की भाषा उपापन की विषय-वस्तु की अपेक्षाओं के अनुसार उपापन इकाई द्वारा विनिश्चित की जायेगी।"

[एफ.2(1)एफडी/एसपीएफसी/2017] राज्यपाल के आदेश से,

> मनीष माथुर, संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.